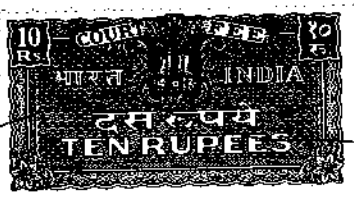

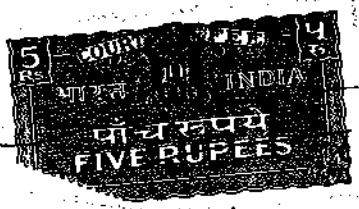

10 COURT FEE — INDIA — दस रुपये TEN RUPEES
5 COURT FEE — INDIA — पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. केम्प उज्जैन म0प्र0।

R 511-II/08

लक्ष्मणसिह पिता रूपसिह राजपुत निवासी
ग्राम दौरापुर ठप्पा बैरछा तह0 व जिला
शाजापुर ——निगरानीकर्ता

विरूद्ध

गोकुलसिह पिता घीसुसिह राजपुत निवासी,
ग्राम दौरापुर ठप्पा बैरछा तह0 व जिला
शाजापुर ——विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा –50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रं.–491/05–06/अपील आदेश दिनांक–28.04.2008 से असन्तुष्ट होकर निम्न आधारो पर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से निगरानी निम्नानुसार पेश है।

संक्षिप्त विवरण

—0—

यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा बैरछा जिला शाजापुर के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र भूमि सर्वे क्रं.–214 (पूराना) रकबा–0.202 नाला गैर मुमकिन होकर सम्वत् 2030 से 2034 व 2034 से 2039 तक म0प्र0 शासन के नाम पर दर्ज थी जिसे विपक्षी गोकुलसिह ने शामिल खाता करवा लिया है को शासकीय भूमि घोषित करवाये जाने हेतु आवेदन पेश किया।न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा बैरछा ने प्रकरण क्रं.–6अ/05–06 आदेश दिनांक 31.03.2006 को उक्त सर्वे क्रं. की भूमि जो की बन्दोबस्त के बाद नये सर्वे क्रं.–452 का बटांकन नं.–452/2 रकबा–0.30 शासकीय नाला दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश दिया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्र0क्रं.–48/अपील/05–06 पर अंकित होकर आदेश दिनांक 28.08.2006 से बिना साक्ष का विश्लेषण किये मन माने ढंग से अधिनस्त न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा बैरछा के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए । विपक्षी की अपील स्वीकार की गई ।

यहकि उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कि जो प्र0क्रं.–491/05–06 /अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 28.04.2008 अनुसार अभिलेख का सही विश्लेषण किये बगैर निरस्त करदी उक्त आदेश से दुखित होकर उक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत है।

——अपील के आधार——

—0—

1– यहकि अधिनस्त न्यायालय का आदेश प्रचलित नियमो न्याय दृष्टान्त विधिक प्रावधानो एवं उपलब्ध रिकार्ड के विपरित होने से निरस्ती योग्य है।

2– यहकि अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार बैरछा आदेश को विधी संम्मत न मानने का कोई आधार नही लिखा गया है और न

(190)

(169)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/511/दो/2008

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 20/01/2012 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	